न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध अधिग्रहण वाद 03/2015–16 राज्य बनाम् अमोद कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
07.11.2017	*आदेश* यह आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिग्रहण वाद सं0 03/2015–16 पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन पत्रांक 4156 दिनांक 05.09.2015 के आलोक में प्रारंभ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4156/सी0आर0, दिनांक 05.09.2015 से स्पष्ट होता है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर गोगरी थाना कॉड सं0–194/15 दिनांक 17.06.15 धारा 421 भा0द0वि0 एवं धारा–7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 113 (एक सौ तेरह) बोरा चावल जप्त कर पौरा थाना में रखा गया है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा उक्त 113 बोरा चावल को अधिग्रहण करने का अनुशंसा किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन स स्पष्ट होता है कि शिक्षक प्रवीण कुमार शर्मा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिए गए सूचना पर पौरा पुलिस द्वारा पौरा जाकर जॉच किया गया तो पौरा पंचायत के विभिन्न स्कूलों के लिए गोगरी से आवंटित 113 बोरा चावल में से 66 बोरा चावल भृगु चौधरी के घर के आंगन में एवं 47 बोरा चावल भृगु चौधरी के घर के आगे लगे ट्रेक्टर पर रखा हआ पाया गया। मध्याह्न भोजन योजना के चावल को संबंधित विद्यालय तक पहुँचाने की जबावदेही संवेदक अमोद कुमार की थी तथा चावल का भंडारण किसी भी परिस्थिति में निजी मकान/दूकान में नहीं करना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, खगड़िया के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त भृगु चौधरी पे0 स्व0 भूमि चौधरी सा0–पौरा थाना–गोगरी एवं अमोद कुमार पे0 श्री जागेश्वर चौधरी सा0–खटहा थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया के विरूद्ध मध्याह्न भोजन योजना के चावल का हेराफेरी करने एवं गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी। उक्त के आलोक में अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी तथा विपक्षी को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत की गयी कि क्यों नहीं उक्त के आलोक में 113 बोरा चावल ट्रेक्टर सहित सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया जाए। जप्ती की अवस्था में उक्त चावल खराब हो सकता था, इसलिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोगरी को आदेश दिया गया कि जप्त चावल को खुले बाजार में निलाम करें एवं उससे प्राप्त राशि प्रखंड नजारत गोगरी में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। प्रतिवादी भृगु चौधरी द्वारा जवाब समर्पित किया गया है। उनका कहना है कि वे बिल्कुल निर्दोष आदमी है। आमोद कुमार ने उनका ट्रेक्टर एवं टेलर नं0 बी0आर0 34ए0 9360 एवं टेलर नं0–बी0आर0 34 जी0 1319 भाड़ा करके मध्याह्न भोजन के उठाव के लिए गोगरी ले जाया गया। वहाँ उठाव होने में काफी विलम्ब हुआ। दिन के करीब 4.00 बजे गोदाम से मध्याह्न भोजन का चावल उठाव हुआ, यह चावल पौरा पंचायत में उतारना था। वहाँ से कोशी नदी पार करके ग्राम सहरौन को भी मध्याह्न भोजन	

भेजना था, लेकिन गोगरी से पौरा करीब 30 किलो मीटर की दूरी पर है। लेट से उठाव होने के कारण ग्राम–पौरा आते–आते काफी शाम हो गयी तब प्रतिवादी भृगु चौधरी ने संवेदक अमोद कुमार से कहा कि मध्याह्न भोजन योजना का चावल कहा रखा जायेगा, इस पर संवेदक आमोद कुमार ने कहा कि अभी रात हो चुकी है और नदी पार करना मुश्किल है। सबेरे में नदी पार करके चावल पहुँचा दिया जायेगा। तब तक रात भर अपने घर पर ही रखे। संवेदक आमोद कमार के कहने पर उसने गाड़ी लोड अपने दवारजे पर लगा दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि दो चार माह पहले ग्राम पंचायत पौरा में सरपंच पद का उप चुनाव हुआ था, उसमें प्रतिवादी भृगु चौधरी ने सरपंच चन्द्रकिशार यादव का विरोध किया था। वही विरोध के कारण पौरा पुलिस को अपने मेल में लाकर साजिस के तहत उन्हें फसाया गया है। वे ट्रेक्टर के भाड़े से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, सिर्फ भाड़ा ही उनका मुख्य पेशा है। उनका यह भी कहना है कि उक्त कांड में चार्जसीट दाखिल किया जा चुका है और यह वाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में चल रहा है। ऐसी स्थिति में अधिहरण वाद सं0–03/15–16 को समाप्त किया जाय और ट्रेक्टर एवं टेलर को मुक्त करने का आदेश दिया जाय।

नोटिस के बावजूद प्रतिवादी अमोद कुमार द्वारा इस संबंध में स्वयं उपस्थित होकर या अधिवक्ता के माध्यम से कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त चावल के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

प्रतिवादी भृगु चौधरी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि संवेदक आमोद कुमार द्वारा पौरा पंचायत स्कूल का चावल उठाव किया गया था। आमोद कुमार द्वारा उक्त ट्रेक्टर एवं टेलर भाड़ा पर लिया गया था। उठाव लगभग 4–5 बजे शाम को हुआ था। स्कूल पहुँचने पर नाव से कोशी नदी पार करना था। रात होने पर भृगु चौधरी ने संवेदक से कहा कि चावल कहा रखना है, इस पर संवेदक ने कहा कि पौरा थाना नजदीक आपका घर है वहाँ उतार दीजिए। सुबह होने पर खादयान को भेज दिया जायेगा। संवेदक के कहने पर चावल को उतारा जा रहा था कि पंचायत चुनाव में मुखिया एवं सरपंच का प्रतिवादी द्वारा विरोध किया गया था इसी वजह से चावल को पुलिस द्वारा पकडवा दिया गया। प्रतिवादी सिर्फ ट्रेक्टर मालिक है। वह ट्रेक्टर के भाड़ा से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं उनके द्वारा उक्त ट्रेक्टर एवं टेलर को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जप्त किये गये 113 (एक सौ तेरह) बोरा चावल कालाबाजारी हेतु रखा गया था तथा प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि देर शाम हो जाने के कारण वहाँ रखा गया था। अतः ऐसी स्थिति में उक्त जप्त चावल अधिग्रहण योग्य है। चूंकि मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रेक्टर को मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है उक्त मध्याह्न भोजन योजना के चावल को भृगु चौधरी द्वारा 66 बोरा चावल घर के आंगन में एवं 47 बोरा चावल घर के आगे लगे ट्रेक्टर पर रखा था, जो उचित नहीं है। जबकि मध्याह्न भोजन योजना के चावल का भंडारण किसी भी परिस्थिति में निजी मकान/दूकान

में नहीं करना है। प्रतिवादी का यह कहना कि शाम हो जाने के कारण चावल घर एवं ट्रेक्टर पर रक्खा गया था, स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में स्वयं उपस्थित होकर या अधिवक्ता के माध्यम से कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त के आलोक में जप्त 113 (एक सौ तेरह) बोरा चावल अधिग्रहण किया जाता है।

मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। इसलिए प्रतिवादी का यह अनुरोध कि ट्रेक्टर मुक्त किया जाय, स्वीकार योग्य नहीं है।

दिनांक 29.10.15 को पारित आदेश में जब्ती अवस्था में चावल खराब नहीं हो इसलिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोगरी को आदेश दिया गया था कि खुले बाजार में चावल को नीलाम करें एवं उससे प्राप्त राशि प्रखंड नजारत गोगरी में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। लेकिन जप्त 113 (एक सौ तेरह) बोरा चावल को खुले बाजार में नीलामी से प्राप्त राशि को प्रखंड नजारत, गोगरी में जमा करने संबंधी प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गोगरी से अप्राप्त है। इसलिए आदेश दिया जाता है कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गोगरी द्वारा 113 (एक सौ तेरह) बोरा चावल की खुले बाजार में निलामी से प्राप्त राशि प्रखंड नजारत, गोगरी में जमा कराने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेखबद्ध करें तथा संबंधित प्रतिवेदन संबंधित न्यायालय को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

सहायक
खगड़िया

समाहर्ता
खगड़िया